बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-303

प्रेषक,

एं० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

पटना–14, दिनांक–10/04/2019

विषय : नालंदा जिलान्तर्गत 33 KV रामचन्द्रपुर–मेधी नगवन तथा रामचन्द्रपुरा–चाँदपुर–पी०एस०एस० ट्रांमिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.3925 हे० वन भूमि को "विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना), नालंदा के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 490 दिनांक 06.03.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव तथा जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 576 दिनांक 06.03.2019 द्वारा प्रदत FRA, 2006 प्रमाण पत्र के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 15.02.2018 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 362 (ई०) दिनांक 03.04.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तद्आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ नालंदा जिलान्तर्गत 33 KV रामचन्द्रपुर–मेधी नगवन तथा रामचन्द्रपुरा–चाँदपुर–पी०एस०एस० ट्रांमिशन लाईन निर्माण हेतु 2.3925 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) अपयोजित होने वाली 2.3925 हे० वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रू० प्रति हे० की दर पर कुल रू० 14,97,705/– मात्र की राशि जमा की जायेगी।

(iii) अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले दुगुने अवकृष्ट वन भूमि में (2.3925 हे०X2 = 4.785 हे०) अर्थात् 4.785 हे० अवकृष्ट वन भूमि में **रू० 15,81,061/– का क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा।** इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी वर्त्तमान दर पर राशि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।